कार्यालय जिलाधीश, गुरूग्राम।

आदेशः–

कोविड–19 कोरोना महामारी की तृतीय लहर के मध्यनजर हरियाणा में जिला गुरूग्राम को अति सवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिए गुरूग्राम के विभिन्न क्षेत्रो में आवश्यक प्रबंधन करवाने के लिए Incident Commander नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं **डॉ0 यश गर्ग, भा0प्र0से0, जिलाधीश गुरूग्राम** उक्त को मध्यनजर रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये क्षेत्रानुसार Incident Commander नियुक्त करता हूँ।

क0 स0	Incident Commander का नाम व पद	क्षेत्र
1	श्रीमति अंकिता चौधरी, भा0प्र0से0, उप–मण्डल अधिकारी (ना0), गुरूग्राम।	गुरूग्राम उप–मण्डल का समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं उप–मण्डल गुरुग्राम क्षेत्र के Overall Incharge
2	श्री सुमित कुमार, एच0सी0एस0, संयुक्त आयुक्त–1, नगर निगम, गुरूग्राम।	जोन–1 नगर निगम, गुरूग्राम।
3	श्री संजीव सिंगला, एच0सी0एस0, संयुक्त आयुक्त–2, नगर निगम, गुरूग्राम।	जोन–2 नगर निगम, गुरूग्राम।
4	श्री सतीश यादव, एच0सी0एस0, उप–मण्डल अधिकारी (ना0) बादशाहपुर एवं संयुक्त आयुक्त–3, नगर निगम, गुरूग्राम।	जोन–3 एवं जोन–4, नगर निगम, गुरूग्राम।
5	श्री ब्रहम प्रकाश, एच0सी0एस0, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, मानेसर।	नगर निगम क्षेत्र, मानेसर।
6	श्री जितेन्द्र कुमार गर्ग, एच0सी0एस0, उप–मण्डल अधिकारी (ना0), सोहना।	सोहना उप–मण्डल के अधीन समस्त क्षेत्र (नगर निगम, गुरूग्राम में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)
7	श्री प्रदीप कुमार, एच0सी0एस0, उप–मण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी।	उप–मण्डल पटौदी का समस्त क्षेत्र (नगर निगम, मानेसर में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)

नोटः–

1. सभी Incident Commanders को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने–2 क्षेत्र के Containment zones में पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से सामंजस्य स्थापित करके कोविड़ नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करेगे।
2. सभी Incident Commander अपने क्षेत्र में उनके अधीनस्थ अधिकारियों की टीमें गठित करेगे। यह टीमें क्षेत्र के थाना प्रभारी एंव स्वास्थ्य विभाग से ताल–मेल स्थापित करके सभी प्रतिष्ठानों में लोगों के प्रवेश के समय Vaccination Certificate देखना भी सुनिश्चित करेगे। सम्बंधित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि उनके क्षेत्र में बाजारों, कम्पनियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सभी लोग मास्क के प्रयोग के साथ–2 कोविड से बचाव के नियमों का पालन करे।
3. सभी Incident Commanders नियमित तौर पर अपने–अपने क्षेत्रों का दौरा करेगे तथा Visit report व उनकी टीमों द्वारा किये गये चालानों बारे उपायुक्त कार्यालय, गुरूग्राम की नजारत शाखा को सूचित करते हुए चालान रशीद/राशि प्रतिदिन सिविल सर्जन, गुरूग्राम के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

जिलाधीश, गुरूग्राम।

क्रमांकः 92 /एम.बी. दिनांक : 06/1/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. पुलिस आयुक्त, गुरूग्राम।
2. आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम/मानेसर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम।
5. अतिरिक्त उपायुक्त, गुरूग्राम।
6. पुलिस उपायुक्त (मुख्या0), गुरूग्राम।
7. उप—मण्डल अधिकारी (ना0), गुरूग्राम/सोहना/पटौदी/बादशाहपुर।
8. संयुक्त आयुक्त—1, 2, 3 व 4, नगर निगम, गुरूग्राम।
9. संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, मानेसर।
10. सिविल सर्जन, गुरूग्राम।
11. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गुरूग्राम।
12. नजारत शाखा, उपायुक्त कार्यालय, गुरूग्राम।
13. निजी सहायक, उपायुक्त, गुरूग्राम।

जिलाधीश, गुरूग्राम।